

न्यायालय जिला कलेक्टर, सिरौही (राज.)
बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 22/2019

प्रार्थी

विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरौही।

बनाम

अप्रार्थीगण

- सरपंच ग्राम पंचायत काछौली।
- श्री खुशवंतसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह निवासी खाखरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती
राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :-

- श्री सहायक विकास अधिकारी सिरौही।

निर्णय

दिनांक 07.06.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना-पत्र राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में पट्टा संख्या 36710 दिनांक 20.01.2017 बुक संख्या 368 क्षेत्रफल 165 वर्गफुट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी बावजूद नोटिस नामिली के अनुपस्थित। प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाई का करने का निर्णय लेते हुए सहायक विकास अधिकारी सिरौही की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से श्री सहायक विकास अधिकारी सिरौही द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के हक में प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 20.01.2017 द्वारा विधि विरुद्ध पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में एक विक्रय विलेख अन्तर्गत राजस्थान पंचायत नियम 1996 के नियम 156 के अन्तर्गत पट्टा संख्या 36710 दिनांक 20.01.2017 की कीमतान राशि रूपये 24090/- दर्शाते हुए पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 20.01.2017 के अनुसरण में पट्टा जारी किया गया है। यह है कि जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है वह भूमि पटवारी हल्का की मौका फर्द अनुसार राजस्व भूमि है एवं पंचायत अपनी क्षेत्राधिकार की भूमि का ही पट्टा पंचायत नियमों में बताई प्रक्रिया के अनुसार ही जारी कर सकती है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को जारी किया गया पट्टा को अपने स्तर पर निरस्त कर दिया गया, जो अप्रार्थी संख्या एक के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को विक्रय विलेख जारी करने का निर्णय लिया गया उक्त बैठक में अप्रार्थी संख्या दो जो कि मौजूदा वार्ड पंच भी था। इस प्रकार राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 की धारा 48(3) का उल्लंघन है। चूंकि जारी विवादित पट्टा राजकीय भूमि की है। प्रार्थी से पारित प्रस्ताव एवं पट्टे का निरस्त करना फरमावे।

जिला कलेक्टर, सिरौही

अप्रार्थी संख्या एक व दो बावजूद नोटिस तामिली के अनुपस्थित। पूर्व में उनको कई मौके दिए जा चुके हैं। अतः इनका जवाब देने का अवसर बन्द किया जाता है।

मैंने प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलिभौति अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 156 के तहत पट्टा संख्या 36710 दिनांक 20.01.2017 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 156 के अनुसार—

प्राइवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अंतरण— (1) पंचायत किसी भी आबादी भूमि को प्राइवेट बातचीत के द्वारा विक्रय के जरिये निम्नलिखित मामलों में अंतरिम कर सकेगी—

(क) जहां किसी व्यक्ति का भूमि पर स्वत्व का दावा न्यायसंगत हो और नीलाम से उचित कीमत प्राप्त नहीं हो सकती हो।

(ख) जहां कोई अतिचार हो या लेखबद्ध किये जाने वाले किसी भी अन्य कारण से पंचायत यह समझती कि नीलाम उस भूमि के निवर्तन का कोई सुविधाजनक ढंग नहीं होगा, और

(ग) जहां तक नियम 144 के उप-नियम (1) और (2) के अनुसार भूमि की कोई पट्टी हो और एक ही आवेदक हो।

उक्त पट्टे को जारी करने में ग्राम पंचायत काछौली द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 की पालना करते हुए पट्टा संख्या 36710 दिनांक 20.01.2017 को जारी किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 156 के अन्तर्गत राजस्व भूमि में विक्रय विलेख जारी किया गया है, जो ग्राम पंचायत काछौली के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में नियम 156 हेतु नियम 146 के अन्तर्गत भूमि का मौका निरीक्षण हेतु तीन वार्ड पंचों की मौका कमेटी का गठन कर मौका निरीक्षण में अप्रार्थी संख्या दो का पुराना मकान बताया गया एवं मिसल में पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 के अन्तर्गत यह अवगत नहीं करवाया है कि विवादित भूमि पर अप्रार्थी संख्या दो का अतिक्रमण पाया गया है एवं उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या दो का किस प्रकार से कब्जा एवं अधिकार है जिनके स्वामित्व में स्पष्ट नहीं करवाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि पट्टावारी हल्का काछौली तहसील पिण्डवाडा द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.05.2019 द्वारा विवादित भूमि को राजस्व भूमि बताया है एवं ग्राम पंचायत काछौली द्वारा नियम 140 के अन्तर्गत आबादी भूमि नहीं होते हुए भी राजस्व विभाग की भूमि पर पट्टा जारी कर ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना की गई है। अतः उक्त सभी अनियमितताओं को देखते हुए यह न्यायालय ग्राम पंचायत काछौली द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी विवादित पट्टा संख्या 36710 दिनांक 20.01.2017 को न्यायसंगत नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत काछौली द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 36710 दिनांक 20.01.2017 क्षेत्रफल 165 वर्गफुट को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही